email:ce.pprbd.upjn@gmail.com

दूरभाष–0522–2629406
फैक्स–0522–2275360

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांकः– 157 / 1009 / 072–0002 / PPRBD / 20   दिनांक : 29 / 02 / 2020

विज्ञप्ति

उ0प्र0 जल निगम में संविदा / मानदेय के आधार पर 01 कन्सलटेन्ट (सिविल संवर्ग) के चयन हेतु वाक–इन–इण्टरव्यू।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा शहरी जलापूर्ति / सीवरेज योजनाओं के नियोजन, डिजाईन एवं प्राक्कलन विरचन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम से सेवानिवृत्त डिग्री धारक एवं अधिशासी अभियन्ता(सिविल संवर्ग) को छः माह हेतु संविदा / मानदेय के आधार पर कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्ति हेतु वाक–इन–इण्टरव्यू लिया जायेगा।

इच्छुक अभ्यर्थियों का वाक–इन–इण्टरव्यू दिनांक 12.03.2020 को अपरान्ह 03:00 बजे से उत्तर प्रदेश जल निगम के सभागार, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में आयोजित किया जायेगा। आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप उ0प्र0 जल निगम की वेबसाइट http://jn.upsdc.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है। इस पद हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के साथ अपना बायोडाटा एवं सुसंगत अभिलेखों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10.03.2020 को अपरान्ह 5:00 बजे तक हार्ड कापी अथवा ई–मेल (ce.pprbdupjn@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता हेतु प्रतिबन्ध एवं शर्तेः–

1. आवेदन करने वाले अभियंता अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए हों एवं उनको शहरी जलापूर्ति / सीवरेज योजनाओं के डिजाईन एवं प्राक्कलन विरचन का उचित ज्ञान हो।
2. आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों में से ऐसे उत्कृष्ट / स्वस्थ अधिकारी को तैनात किये जाने पर विचार किया जायेगा जो सेवाकाल में किसी वित्तीय / अनुशासनिक अनियमितता में दोषी न रहे हों, सेवानिवृत्त की तिथि के पूर्व की 10 वर्ष की उनकी सेवायें अतिउत्तम श्रेणी से न्यून न रही हों, तथा उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हों।
3. संविदा / मानदेय के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी को रू0 45000/– प्रतिमाह संविदा धनराशि / मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
4. संविदा / मानदेय पर तैनात अधिकारी को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष अवकाश देय होगा। इसके अलावा अन्य कोई अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश या चिकित्सा अवकाश आदि देय नहीं होगा।
5. उक्त अधिकारी द्वारा जल निगम के कार्यों हेतु की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में वही नियम लागू होंगे जो जल निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए प्रभावी है तथा उसकी प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त के समय धारित पद की समकक्षता के अनुरूप की जायेगी।
6. योजित कन्सलटेन्ट को प्रथमतः छः माह हेतु (यदि इससे पूर्व में सेवा समाप्त न कर दिया जाये) तैनात किया जायेगा। उक्तानुसार योजित अधिकारी की क्षमता, कार्य कुशलता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्तता के आधार पर सक्षम स्तर के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(राजीव निगम)
मुख्य अभियन्ता (पी.पी.आर.बी.डी.)

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम के संज्ञान में लाने हेतु।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता, ई.डी.पी. सेल, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र का प्रारुप जल निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता (पी.पी.आर.बी.डी.)

उ0प्र0 जल निगम में कन्सलटेन्ट (संविदा के आधार पर)के पदपर कार्य करने हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्म तिथि –
4. वर्तमान पता (दूरभाष सहित) –
5. ई–मेल –
6. स्थाई पता (दूरभाष सहित) –
7. सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित विवरण –

क. सेवा निवृत्ति से पूर्व धारित अन्तिम पद का नाम –

ख. सेवा निवृत्ति की तिथि –

8. अनुभव का विवरण –

क्र0सं0	पद	कराये गये कार्यों का विवरण	कब से	कब तक

9. शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता –

क्र0	डिग्री का नाम	संस्था/विश्वविद्यायल का नाम

10. अन्य विवरण :–

दिनांक :

स्थान : अभ्यर्थी का हस्ताक्षर